3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ...

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 20/1/26

प्रार्थना पत्र मा. अति0 संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है जिसमें इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया है कि उभय पक्षों को सुनकर विस्तृत जांच कर पुनः निर्णय पारित करे। प्रकरण में निर्णय से पूर्व मूल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि–यह कि प्रार्थीया के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 3 जेडब्ल्यू खाता संख्या 14/10 प.न. 84/356 के किला न. 5 में 0.025 है. खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबंदी प्रस्तुत की गई है। कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड रावतसर के कार्यालय आदेश टी/चक 3 जेडब्ल्यू/825/दिनांक 8.07.21 द्वारा उक्त किला न. 5 का 0.025 है. खाला को निरस्त किया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पीलीबंगा को भीजवाई जा चुकि है। लेकिन अप्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह कि उक्त किला न. 5 की 0.025 है. खाला की भूमि निरस्त की जा चुकि है लेकिन अप्रार्थी द्वारा उक्त रकबा के खाला का अंकन नहीं हटाया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया के खाता के उक्त किला न. 5 0.025 है. खाला के अंकन को हटाकर प्रार्थीयाका खाता दुरस्त करने का आदेश जारी फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में दिनांक 04.01.2022 को प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 3 जेडब्ल्यू के प.न. 84/356 के मु.न. 8 के किला न. 5 में 0.025 है. खाला के अंकन को हटाया जाने के आदेश पारित किया गया प्रकरण में निर्णय उपरान्त मा. अपीलीय न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार होकर अप्रार्थी संख्या 3–4 को पक्षकार संयोजित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3–4 की ओर से श्री हनुमान भादू अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया गया जवाब अप्रार्थी संख्या 3–4 निम्नप्रकार से है यह की प्रार्थना पत्र की दफा 1 मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है। यह की प्रार्थना पत्र की दफा 2 अस्वीकार है क्योकि अधिशाषी अभियंता रावतसर द्वारा खाला के अंकन को हटाने की कार्यवाही कानून के विरूद्व जाकर की गई है फिर भी उक्त अधिशाषी अभियंता द्वारा गैर मुमकिन खाला की भूमि को प्रार्थीया के

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

नाम अकंन करने के कोई आदेश नही है और न ही उक्त अधिशाषी अभियंता कृषि भूमि बाबत रिकॉर्ड मे किसी के नाम अंकन करने की अनुषशा करने वाला सक्षम प्राधिकारी है एवम प्रार्थीया हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दुरस्ती की आड मे कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे अकंन करवाने की अधिकारी नही है । क्योकि श्रीमान न्यायालय को भी 136 एल आर एक्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी व्यक्ति को कृषि भूमि आंवटन करने की अधिकारीता नही है । इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

यह की प्रार्थना पत्र की दफा तीन अस्वीकार है क्योकि मुझ अप्रार्थी सख्या 3 व 4 की कृषि भूमि भी उक्त चक 3 जेडब्ल्यू के प0न0 84/356 के किला न0 5 मे अप्रार्थी सख्या 3 देवसीराम के पास किला न० 5/2/0.030, व अप्रार्थी सख्या 4 रणजीत के पास किला न0 5/4/0.031 इस प्रकार अप्रार्थी सख्या 3 व 4 के पास किला न0 5 मे 0.061 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है इसलिए हमारी कृषि भमि के सामने वाली गैर मुमकिन खाला के चिपती कृषि भूमि को हम अप्रार्थी सख्या 3 व 4 पाने की पात्रता रखते है और कानून्न अपने नाम करने के अधिकारी है क्योकि उक्त गैर मुमकिन खाला की चिपती कृषि हम अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के कब्जा मे है। अतः उक्ता अनुसार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में पूर्व वृति निर्णय चक 3 जेडब्ल्यू के प.न. 84/356 के मु.न. 8 के किला न. 5 में 0.025 है. खाला के अंकन को हटाया जाने के आदेश को बहाल रखा जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3–4 ने बहस में कथन किया कि किला न0 5 मे अप्रार्थी सख्या 3 देवसीराम के पास किला न० 5/2/0. 030, व अप्रार्थी सख्या 4 रणजीत के पास किला न0 5/4/0.031 इस प्रकार अप्रार्थी सख्या 3 व 4 के पास किला न0 5 मे 0.061 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है इसलिए हमारी कृषि भमि के सामने वाली गैर मुमकिन खाला के चिपती कृषि भूमि को हम अप्रार्थी सख्या 3 व 4 पाने की पात्रता रखते है इस लिए निर्णय अप्रार्थी संख्या 3–4 के जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। चक 3 जेडब्लयू के प.न. 84/356 में प्रश्नगत किला न. 5 का अंकन प्रार्थीया तीजादेवी के नाम के साथ साथ किला न. 5 मे अप्रार्थी सख्या 3 देवसीराम के पास किला न० 5/2/0.030, व अप्रार्थी सख्या 4 रणजीत के पास किला न0 5/4/0.031 इस प्रकार अप्रार्थी सख्या 3 व 4 के पास किला न0 5 मे 0.061 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है इसलिए किला न. 5 के संबंध में निर्णय प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट के तहत नहीं किया जाकर प्रार्थी अप्रार्थी के साक्ष्य प्राप्त कर प्रकरण घोषणात्मक वाद में निर्णय किया जाना उचित होगा। इस स्तर पर 136 एलआरएक्ट प्रार्थना पत्र के तहत निर्णय किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है इस लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 20/1/26 सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:20:33 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
सहायक कलक्टर
पीलीबंगा